15/07/21

उभय पक्ष/उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने हेतु दोनों पक्ष सहमत अतः प्रकरण लोक अदालत में रखकर विचार किया जाता [illegible] पर दिनांक 17/12/21 को पेश हो।

17/12/21

पत्रावली पेश हुई [illegible] उपस्थित [illegible] 19/01/21 [illegible]

19/01/21

पत्रावली पेश हुई। श्री [illegible] अनुपस्थित। अतः [illegible] पत्रावली दिनांक 21/03/22 को पेश हो।

रीडर

21/03/22 पत्रावली पेश हुई। आवाजे लगवायी गयी। बार-बार आवाजे लगवाने के बावजूद पक्षकार उपस्थित नहीं। इससे यह प्रतीत होता है की पक्षकार की वाद-पत्र में रुचि नहीं है अतः वाद पत्र इसी स्टेज पर आगे हाजरी एवं आगे पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हक्क जाता होकर इस्तरे है।

Signature Not Verifie

Digitally signed by Ashok
Date: 2022.06.20 15:54:25
Reason: SelfAttested